संख्या-577/22-02-2014-17(182)/2005

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः अगस्त,2015

विषय :- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय करन सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, निवासी जिला-बांदा के 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4735/पर-2 (05-02-2014) दिनांक 13-02-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी विजय करन सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, ग्राम-पचकौरी, थाना-पैलानी, जनपद-बांदा का निवासी है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15-04-1981 को सायं लगभग-6 बजे बन्दूक से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या का अपराध कारित किया गया, जिसके संदर्भ में मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश फतेहपुर द्वारा दिनांक 28-11-1997 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 15-12-1998 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24-06-2013 तक 16 वर्ष 09 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 04 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के सभी 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करता है, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने से इनकार नही किया जा सकता है तथा बन्दी के रिहा करने पर अभियोग के शिकार लोग बदला लेने का प्रयास कर सकते है आदि के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। महानिरीक्षक, कारागार की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बांदा की आख्या के दृष्टिगत सलाहकार समिति द्वारा जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 के अन्तर्गत बन्दी को रिहा करने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी विजय करन सिंह (बन्दी संख्या-1720/08) पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, ग्राम-पचकौरी, थाना-पैलानी, जनपद-बांदा की उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-577/22-2-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in